न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : डॉ0 मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 676–तीन/2003 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–03–2003 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा प्रकरण कमांक 135/ 2002–03/द्वि.अ.

1– मृतक रामसिंह के वारिसानः–
अ– रूक्माबाई विधवा रामसिंह जी
ब– देवसिंह पिता रामसिंह जी
स– चांदसिंह पिता रामसिंह जी
2– बाबुलाल पिता सिद्धिया
3– कमल पिता सिद्धिया
4– रामबाई बेवा सिद्धिया
निवासीगण–ग्राम मेहरखेड़ी
तहसील–शुजालपुर, जिला–शाजापुर, (म0प्र0)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– मृतक रामकिशन के वारिसानः–
अ– भंवरबाई विधवा रामकिशन जी
ब– सीताबाई पुत्री रामकिशन पत्नी बलदेवजी
स– प्रकाश पुत्र रामकिशन जी
द– महेश पुत्र रामकिशन जी
ई– लाखनसिंह पुत्र रामकिशन जी
2– बद्री पिता जगन्नाथ
3– भूरीबाई पुत्री जगन्नाथ
4– अमृतलाल पिता शंकरलाल जी
5– छीतीबाई पुत्री शंकरलाल जी
6– मांगीलाल पिता शंकरलाल जी
निवासीगण–ग्राम मेहरखेड़ी, तहसील–शुजालपुर
जिला–शाजापुर (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....

श्री के0सी0 दबे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एच0सी0 जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 16 सितम्बर 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदकों द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–03–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शुजालपुर के न्यायालय में रामकिशन आदि (अनावेदकगण) ने म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम मोहनपुर में स्थित विवादित भूमि खाता क्रमांक 29/बी–1/1995–96 की कुल किता –11, कुल रकबा 2.091 हैक्टेयर का बटवारा करने का निवेदन किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24–12–1999 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध रामसिंह पिता सिद्धीया आदि (आवेदकगण) ने न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर के यहॉ प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो दिनांक 26–04–01 को निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। न्यायालय आयुक्त के समक्ष प्रकरण क्रमांक 135/2002–03/द्वि0अ0 पंजीबद्ध हुआ एवं आदेश दिनांक 17–03–2003 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को स्थिर रखा तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क किया कि प्रकरण में अधीनस्थ तीनों ही न्यायालयों ने विधि के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये व्याप्त अनियमितताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। जो फर्द बंटवारा तहसीलदार शुजालपुर के द्वारा हल्का पटवारी के माध्यम से बनावाया गया था उस पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है जबकि फर्द बंटवारे की यह अनिवार्य शर्त है कि बंटवारे में संम्मिलित पक्षकारों के हस्ताक्षर बंटवारा फर्द पर होना चाहिये।

उक्त आपत्ति आवेदकगणों ने आयुक्त के समक्ष उठायी थी, किन्तु विधि की इस भूल पर अधीनस्थ न्यायालयों ने ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से उक्त विवादित फर्द बंटवारे पर किसी स्वतंत्र साक्षी के भी हस्ताक्षर नहीं है। पक्षकारों को फर्द बंटवारे के समय उपस्थित रहने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्रदान नहीं की गई थी केवल पटवारी के माध्यम से तहसीलदार ने फर्द बंटवारा कराकर उसको अंतिम रूप दे दिया था जो विधि की मान्यताओं के सर्वथा प्रतिकूल है। यह भी तर्क दिया कि फर्द बंटवारा करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि संयुक्त खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को सघन और समान क्षेत्र प्राप्त हो सके। किन्तु प्रस्तुत बंटवारे में विधि के इन मान्य सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। कस्बा पटवारी द्वारा जो विवादित भूमि का फर्द बंटवारा तहसीलदार शुजालपुर के आदेश पर किया गया है वह कब्जे को आधार मानकर किया गया है। जबकि राजस्व न्यायालयों के निर्णय अनुसार फर्द बंटवारा बनाते समय भूमि के उपजाऊपन पर विचार किया जाना चाहिये था। किसी भी संयुक्त खाते की कृषि भूमि के बंटवारे की कार्यवाही के संबंध में की जाने वाली उद्धघोषणा के संबंध में भी विधि के नियम स्पष्ट है जिसके अनुसार संहिता की धारा 178 अनुसूची 1 नियम 17 के अनुसार बंटवारे संबंधी कार्ययवाही की प्रतियों को चस्पा करके तथा डोडी पिटवाकर उद्धघोषणा की जानी चाहिये जिसका पालन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया। तर्क में यह भी कहा की प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व पटवारी रामचंद्र पाटिल ने बंटवारा फर्द प्रस्तुत की थी परन्तु बाद में अन्य पटवारी बहादूर सिंह ने उक्त फर्द बंटवारे में काटछांट करके अनियमितता की। इसके कारण पारिवारिक संयुक्त खाते की जमीन का विवाद इतना बढ़ गया। संयुक्त खाते के अनेक सर्वे नंबर की भूमियां जानबूझकर अदला बदली कर दी गई थी जबकि पारिवारिक सदस्य इससे सहमत नहीं थे। जिन भूमियों पर एक पक्ष का भी कब्जा नहीं था उन भूमियों को अन्य व्यक्तियों के कब्जे बतलाकर बंटवारा कर दिया। इसी प्रकार जिन भूमि पर और सर्वे नंबर पर खातेदारों ने अपनी मेहनत से सिंचाई और अन्य फलदार वृक्ष आदि लगाये

थे उनकी उपरोक्त भूमि को असिंचित व बंजर भूमि से अदला–बदली करवा दी गई। इस संबंध में सर्वे नंबर 218 की जमीन को फर्द बंटवारे में रामकिशन के नाम से कर दी गई है उस पर पहले उसका नाम नहीं था। इसी प्रकार अन्य सर्वे नंबर की भूमि में भी जानबूझकर हेराफेरी की गई है। जिसके कारण उभयपक्ष असंतुष्ट हुये है और इस संबंध में दोनों ही पक्षों ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शुजालपुर के समक्ष आपत्ति दर्ज करायी थी और उनके द्वारा प्रस्तुत फर्द बंटवारे को निरस्त करने की प्रार्थना के साथ ही यह भी निवेदन किया था कि चूंकि दोनों पक्ष एक ही परिवार के संयुक्त सदस्य है इस कारण से उनकी भूमि का बंटवारा उनकी सहमत से किया जाना चाहिये था। तहसीलदार शुजालपुर ने उभयपक्ष की इन आपत्तियों को दरकिनार करते हुये मनमाने ढंग से विधि के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है। जिसकी पुष्टी अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा अपने–अपने आदेशों में की है। इसी कारण आवेदकगणों द्वारा न्यायादान प्राप्त करने के लिये राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत रामप्रसाद विरूद्ध कालूराम रे0नि0 1994 पृष्ठ क्रमांक 377, 379 पैरा 3, भागवंती विरूद्ध द्वारिका रे0नि0 1991 पृष्ठ पैरा 4 से 8, सीताराम विरूद्ध रामस्वरूप रे0नि0 1990 पृष्ठ 389, श्यामलाल विरूद्ध रामलाल रे0नि0 1994 पृष्ठ 265 एवं सुकईयां विरूद्ध रघैइया रे0नि0 1990 पृष्ठ 414 पैरा 5 अवलोकनीय है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया कि उभयपक्ष संयुक्त परिवार के सदस्य होकर ग्राम मेहरखेड़ी तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर के निवासीगण है। उभयपक्षों के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की एक कृषि भूमि का खाता जिसका कुल रकबा 2.091 है0 ग्राम मोहनपुर तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर में स्थित है। उक्त भूमि के संबंध में रामकिशन आदि ने व्यवहार न्यायालय शुजालपुर में वादीगण जगन्नाथ व रामसिंह विरूद्ध शंकरलाल आदि 6 का एक साम्पतिक वाद दिनांक 01.10.1986 को ग्राम मोहनपुर तहसील शुजालपुर स्थित उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया जो

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 शुजालपुर के यहां न्यायिक प्रकिया के कारण जाने से प्रकरण का क्रमांक 141ए/90 अंकित हुआ, जिसमें दिनांक 08.02.1991 को आदेश पारित हुआ और उक्त आदेश में अनावेदकगण का उपरोक्त विवादित भूमि में क्रमशः 1/4, 1/4 हिस्सा है, यह घोषित किया गया तथा अनावेदकगण अपने हिस्से के मान से भूमि का बंटवारा करा कर कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 शुजालपुर के यहां विचाराधीन वाद में न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.02.1991 को पारित किया जिसके विरूद्ध रामसिंह ने न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शाजापुर के यहां अपील प्रस्तुत की, जो प्रकरण क्रमांक 82–ए/95 अपील पर संस्थित हुई जो दिनांक 26.08.1996 को निरस्त हुई और व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 शुजालपुर द्वारा मूल आदेश में जो सहायताएं प्रदान की गई थी वह यथावत रखी गई। अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक ने लिखित तर्क में यह भी कहा कि व्यवहार न्यायालय शुजालपुर द्वारा पारित आदेश में दिये गये निर्देश के अनुसरण में रामकिशन द्वारा बंटवारे का प्रकरण रामकिशन आदि विरूद्ध रामसिंह आदि का तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया, जो प्रकरण क्रमांक 4/अ–27/1996–97 पर संस्थित हुआ, जिसमें दिनांक 28.11.1997 को आदेश पारित कर बंटवारे का आवेदन पत्र निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 24/1997–98 पर संस्थित हुई जिसमें आदेश दिनांक 21.12.1998 को पारित किया और इस आदेश में यह शर्ते रखी गई कि उभयपक्ष व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एक माह में प्रस्तुत करें नहीं करने की दशा में दिनांक 28.11.1997 का आदेश यथावत रहेगा। इस पर रामकिशन ने बंटवारे का एक वाद रामकिशन आदि विरूद्ध रामसिंह आदि का बंटवारे का प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 6/अ–27/98799 पर संस्थित हुआ। तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण व कब्जे की स्थिति की जानकारी ली और जांच की तथा आदेश

पारित किया। पटवारी द्वारा बंटवारा फर्द भूमि के उपजाऊपन कब्जे की स्थिति व हिस्से के मान से बंटवारा फर्द तैयार कर जिस पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में भी स्थल की स्थिति, सिंचित, असिंचित, हकत, पडत, किस्म कब्जा अादि तथ्यों पर विचार कर निर्णय पारित करने का उल्लेख किया है। पटवारी द्वारा बंटवारा फर्द तैयार करते समय सभी पक्ष उपस्थित थे। इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण की सभी स्थिति के विचारों उपरांत ही तहसील न्यायालय द्वारा अपना आदेश दिनांक 24.12.1999 को पारित किया, जो विधि अनुरूप है। जिसका क्रियान्वन भी शासकीय अभिलेखों में यथासमय हुआ। इसके विरूद्ध आवेदकगण ने अपील अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रस्तुत की जो दिनांक 26.04.2001 को निरस्त की और दिनांक 24.12.1999 के आदेश को स्थिर रखा गया। उक्त आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया की व्यवहार न्यायालय के आदेश के सभी तथ्यों पर विचार उपरांत बंटवारा स्वीकार किया गया है। इसलिये अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर द्वारा अपील में पारित आदेश का अवलोकन न्याय हित में किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार आयुक्त उज्जैन के आदेश दिनांक 17.03.2003 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा 2003 में निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक 676/03 निगरानी पर संस्थित हुई, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख प्राप्त होने पर राजस्व मण्डल द्वारा तर्क हेतु दिनांक 25.04.2006 की पेशी नियत थी। उक्त दिनांक को प्रार्थीगण व उसके अभिभाषक जानबूझकर प्रकरण में उपस्थित नहीं हुये। फलस्वरूप राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण अदम पैरवी में निगरानी निरस्त की गई। अनावेदकगण के तर्क में यह भी कहा कि आवेदकगण द्वारा पुनः निगरानी को स्थापित करने बावत आवेदन पत्र देने पर न्यायालय द्वारा पुनः निगरानी को वर्ष 2007 में संस्थित किया। इस प्रकार विचाराधीन निगरानी में लगभग 12 वर्ष की समयावधि व्यतित हो चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि आवेदकगण प्रकरण के निराकरण में विलम्ब करता रहा है। जिससे की प्रकरण का निराकरण न हो सके।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदकगण द्वारा दिनांक 27–9–96 को प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसपर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 28–11–97 को बाहमी बटवारे के आधार पर बटवारा स्वीकृत किया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 28–11–97 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसमें अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–12–1998 के द्वारा इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने के दिनांक से एक माह की समयावधि में व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें। आदेश की प्रति प्रस्तुत होने पर आदेश के प्रकाश में प्रकरण का गुण–दोषों के आधार पर निराकरण किया जाये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के पालन में रामकिशन ने व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत की। व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्राप्त होने के पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही कर तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण व कब्जे की स्थिति की जानकारी ली और जांच की तथा आदेश पारित किया। पटवारी से दिनांक 24–3–99 को बंटवारा फर्द प्राप्त करने के पश्चात विधिवत उभय पक्ष की आपत्ति एवं उस पर साक्ष्य एवं सुनवाई उपरांत भूमि के उपजाऊपन कब्जे की स्थिति व हिस्से के मान से बंटवारा फर्द तैयार कर जिस पर तहसीलदार ने आदेश दिनांक 24.12.1999 पारित कर बंटवारा स्वीकृत किया है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। अतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार निगरानी प्रकट नही होता है। आवेदक द्वारा निगरानी में ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों में किए गए आदेशों में दिए गए समवर्ती निष्कर्षों को पलटा जा सके।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। आयुक्त उज्जैन का आदेश दिनांक 17–3–2003, अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर का आदेश दिनांक 26–4–01 एवं तहसीलदार शुजालपुर का आदेश दिनांक 24–12–99 यथावत रखे जाते हैं।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर